छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 17 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 26,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत् निजी भूमि अधिग्रहण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में शासन के दिशा–निर्देश के विरूद्ध ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य एजेंसी बनाये जाने की ओर उप मुख्मंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य –

(i) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धौराभाठा में पुल निर्माण करने,

(ii) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेमरी (जंगल गातापार) में वृहद पुल निर्माण करने,

(iii) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोटिया से बरनारा तक पुल–पुलिया सहित सड़क निर्माण करने,

(iv) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडोंगर में प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

क्रमशः 2

(v) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गातापार जंगल में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(vi) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ठेलकाडीह में महाविद्यालय भवन निर्माण करने,

(vii) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुढ़ीपार में महाविद्यालय खोलने तथा

(viii) डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपलाकछार में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

30 मिनट (3) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 16 जुलाई, 2025